अनुदान संख्या 49 – भारी उद्योग विभाग
GRANT No. 49–DEPARTMENT OF HEAVY INDUSTRY

			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
					(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्व:	**Revenue:**				
स्वीकृत-	Voted–				
मूल	Original	214,96,00	1893,02,00	1848,22,00	–44,80,00
पूरक	Supplementary	1678,06,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				43,62,37
पूंजीगत:	**Capital:**				
स्वीकृत-	Voted–				
मूल	Original	592,24,00	648,76,00	491,13,23	–157,62,77
पूरक	Supplementary	56,52,00			
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year				157,57,77

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान के राजस्व भाग में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

Notes and comments

1. In the revenue section of the grant, savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "3451" सचिवालय - आर्थिक सेवाएं	Major Head "3451" Secretariat - Economic Services				
मू.	O.	989.00	1512.00	1401.21	–110.79
पू.	S.	186.00			
पु.	R.	337.00			

शीर्ष	Head			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
						(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष ''2852'' उद्योग	Major Head "2852" Industries					
मू.	O.	20507.00				
पू.	S.	167620.00		183427.63	183420.79	–6.84
पु.	R.	–4699.37				

(I) 2402.00 लाख रु. का प्रावधान चार शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; जिसमें से 2400.00 लाख रु. अकेले मुख्य शीर्ष ''2852'' - ''इंजीनियरी उद्योग - अन्य इंजीनियरी उद्योग - पूंजीगत माल क्षेत्र का आधुनिकीकरण'' के अंतर्गत स्कीम के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों से प्रस्तावों के प्राप्त न होने के कारण लेखाबद्ध किए गए।

(I) Provision of Rs.2402.00 lakhs remained wholly unutilised under four heads; of these Rs.2400.00 lakhs alone accounted for under Major Head "2852" - "Engineering Industries - Other Engineering Industries – Modernisation of Capital Goods Sector" - due to non-receipt of proposals from Public Sector Enterprises for the scheme.

(II) मुख्य शीर्ष ''2852'' के अंतर्गत बचतें निम्नलिखित शीर्षों के अंतर्गत हुईं:-

(II) Under Major Head "2852" - savings occurred under the following heads:-

(का) ''इंजीनियरी उद्योग - अन्य इंजीनियरी उद्योग - स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्कीम लागू किए जाने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को बैंक वित्तपोषण पर ब्याज सहायता'' - 1490.54 लाख रु. की बचत (2400.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्कीम लागू किए जाने के लिए भारत सरकार के गारंटी बांडों के लिए मंत्रिमंडल द्वारा निधियों को अनुमोदन प्रदान न किए जाने के कारण हुई।

(A) "Engineering Industries – Other Engineering Industries - Interest subsidy on bank finance to Public Sector Enterprises for implementation of Voluntary Retirement Scheme" – saving of Rs.1490.54 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2400.00 lakhs) was due to non- approval of funds by the Cabinet for Government of India Guarantee Bonds for Voluntary Retirement Scheme to the Public Sector Enterprises.

(खा) ''सामान्य'' -

(B) "General" –

(क) ''औद्योगिक शिक्षा, अनुसंधान और प्रशिक्षण - विज्ञान और प्रौद्योगिकी योजना से संबंधित व्यय'' - 738.50 लाख रु. की बचत (2905.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) आटोमोबाइल और सम्बद्ध उद्योग विकास परिषद की परियोजनाओं को अनुमोदन प्रदान न किए जाने के कारण हुई।

(a) "Industrial Education, Research and Training – Expenditure in connection with Science & Technology Plan" – saving of Rs.738.50 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.2905.00 lakhs) was due to non-approval of projects of Development Council for Automobiles and Allied Industries.

(ख) ''अन्य व्यय - संवर्धनात्मक कार्यकलाप शुरू करने के लिए औद्योगिक संघ और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को सहायता अनुदान की स्कीम'' - 240.74 लाख रु. की बचत (300.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) स्कीम के अंतर्गत परियोजनाओं को अनुमोदन प्रदान न किए जाने के कारण हुई।

(b) "Other Expenditure – Scheme of Grants-in-aid to Industrial Association and PSUs for undertaking promotional activities" – saving of Rs.240.74 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.300.00 lakhs) was due to non-approval of projects under the scheme.

2.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (157.41 लाख रु.) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि मुख्य शीर्ष ''2852'' - ''इंजीनियरी उद्योग - अन्य इंजीनियरी उद्योग - नेशनल इंस्ट्रुमेंट्स लिमिटेड को अनुदान'' के अंतर्गत अक्तूबर, 2008 में 81213.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था।

2.(I) The above savings were partly (Rs.157.41 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining supplementary grant of Rs.81213.00 lakhs in October, 2008 under Major Head "2852" – "Engineering Industries –Other Engineering Industries – Grants to National Instruments Ltd."

(II) बचतें मुख्य शीर्ष ''3451'' - ''सचिवालय - भारी उद्योग विभाग'' के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हो गईं - 226.21 लाख रु. का अधिक व्यय (अक्तूबर, 2008 में प्राप्त किए गए 186.00 लाख रु. के पूरक अनुदान सहित 1175.00 लाख रु. के कुल स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) वेतन की अदायगी, विदेश यात्रा, घरेलू यात्रा और चिकित्सा दावों की प्रतिपूर्ति के लिए अतिरिक्त निधियों की आवश्यकता होने के कारण हुआ।

(II) Savings were also offset by excess under Major Head "3451" – "Secretariat – Department of Heavy Industry" – excess of Rs.226.21 lakhs (against the total sanctioned provision of Rs.1175.00 lakhs including supplementary grant of Rs.186.00 lakhs obtained in October, 2008) was due to requirement of additional funds for payment of salary, foreign travel, domestic travel and re-imbursement of medical claims.

3. अनुदान के पूंजीगत भाग में, कुल बचतें (15762.77 लाख रु.) अक्तूबर, 2008 और फरवरी, 2009 में प्राप्त किए गए 5652.00 लाख रु. के पूरक अनुदान से अधिक हो गईं और यह कुल स्वीकृत प्रावधान का 24 प्रतिशत थीं।

3. In the capital section of the grant, the overall savings (Rs.15762.77 lakhs) exceeded the supplementary grants of Rs.5652.00 lakhs obtained in October, 2008 and February, 2009 and constituted 24 percent of the total sanctioned provision.

बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

Savings/excess occurred under the following major heads:-

शीर्ष	Head		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
					(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष ''4552'' उत्तर पूर्वी क्षेत्रों पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4552" Capital Outlay on North Eastern Areas				
मू.	O.	5500.00			
			. .	. .	. .
पु.	R.	–5500.00			
मुख्य शीर्ष ''4854'' सीमेंट और धातु रहित खनिज उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4854" Capital Outlay on Cement and Non-metallic Mineral Industries				
मू.	O.	501.00			
			. .	. .	. .
पु.	R.	–501.00			
मुख्य शीर्ष ''4858'' इंजीनियरी उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4858" Capital Outlay on Engineering Industries				
मू.	O.	3491.00			
पू.	S.	5650.00	8244.54	8241.54	–3.00
पु.	R.	–896.46			
मुख्य शीर्ष ''4860'' उपभोक्ता उद्योगों पर पूंजीगत परिव्यय	Major Head "4860" Capital Outlay on Consumer Industries				
मू.	O.	8104.00			
पू.	S.	1.00	488.00	487.00	–1.00
पु.	R.	–7617.00			

शीर्ष	Head			कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
						(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष ''6854'' सीमेंट और धातुरहित खनिज उद्योगों के लिए कर्ज	Major Head "6854" Loans for Cement and Non-metallic Mineral Industries					
मू.	O.	15000.00				
पु.	R.	–15000.00		. .	. .	. .
मुख्य शीर्ष ''6858'' इंजीनियरी उद्योगों के लिए कर्ज	Major Head "6858" Loans for Engineering Industries					
मू.	O.	26326.00				
पू.	S.	1.00		36046.69	36045.69	–1.00
पु.	R.	9719.69				
मुख्य शीर्ष ''6860'' उपभोक्ता उद्योगों के लिए कर्ज	Major Head "6860" Loans for Consumer Industries					
मू.	O.	302.00				
पु.	R.	4037.00		4339.00	4339.00	..

(I) 56116.00 लाख रु. का प्रावधान (2.00 लाख रु. के सांकेतिक पूरक अनुदान सहित) सोलह शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; जिसमें से 56100.00 लाख रु. निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए:-

(I) Provision of Rs.56116.00 lakhs (including token supplementary grant of Rs.2.00 lakhs) remained wholly unutilised under sixteen heads; of these Rs.56100.00 lakhs accounted for under the following major heads:-

(का) मुख्य शीर्ष ''4552'' -

(A) Major Head "4552" -

(क) ''सीमेंट - सार्वजनिक क्षेत्र के और अन्य उपक्रमों में निवेश - भारतीय सीमेंट निगम लिमिटेड'' - 500.00 लाख रु. परियोजनाओं को अनुमोदन प्रदान न किए जाने के कारण थे।

(a) "Cement – Investment in Public Sector and Other Undertakings – Cement Corporation of India Ltd." – Rs.500.00 lakhs – due to non-approval of projects.

(ख) ''कागज और अखबारी कागज - सार्वजनिक क्षेत्र के और अन्य उपक्रमों में निवेश - हिंदुस्तान पेपर निगम

(b) "Paper and Newsprint – Investments in Public Sector and Other Undertakings –

लिमिटेड'' - 5000.00 लाख रु. पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए आंशिक निधियों का पुनर्विनियोग कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने और शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण थे।

Hindustan Paper Corporation Ltd." – Rs.5000.00 lakhs - due to re-appropriation of part funds to functional heads for utilisation on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim and surrender of the balance amount.

(खा) मुख्य शीर्ष "4854'' - "अन्य - अन्य व्यय - सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों में परिवर्धन, आशोधन और प्रतिस्थापन के लिए निवेश'' - 500.00 लाख रु. सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से मांग प्राप्त न होने के कारण थे।

(B) Major Head "4854" – "Others - Other Expenditure – Investment for Addition, Modification and Replacement in PSUs" – Rs.500.00 lakhs – due to non-receipt of demand from Public Sector Undertakings.

(गा) मुख्य शीर्ष "4858'' -

(C) Major Head "4858" –

(क) "परिवहन उपस्कर उद्योग - सार्वजनिक क्षेत्र के और अन्य उपक्रमों में निवेश - स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड में निवेश'' - 200.00 लाख रु. स्कीमों को अनुमोदन प्रदान न किए जाने के कारण थे।

(a) "Transport Equipment Industries – Investments in Public Sector and Other Undertakings – Investment in Scooters India Ltd." – Rs.200.00 lakhs – due to non-approval of schemes.

(ख) "अन्य इंजीनियरी उद्योग - सार्वजनिक क्षेत्र के और अन्य उपक्रमों में निवेश - सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के पुनर्गठन के लिए एकमुश्त प्रावधान'' - 2100.00 लाख रु. पिछले वर्षों का अव्ययित शेष उपलब्ध होने के कारण थे।

(b) "Other Engineering Industries – Investments in Public Sector and Other Undertakings – Lumpsum provision for Restructuring of PSEs" – Rs.2100.00 lakhs – due to availability of unspent balance of previous year.

(घा) मुख्य शीर्ष "4860'' - "कागज और अखबारी कागज - सार्वजनिक क्षेत्र के और अन्य उपक्रमों में निवेश - हिंदुस्तान पेपर कारपोरेशन लिमिटेड में निवेश'' - 7800.00 लाख रु. जगदीशपुर पेपर मिल के लिए भूमि का अधिग्रहण न किए जाने के कारण थे।

(D) Major Head "4860" – "Paper and Newsprint – Investments in Public Sector and Other Undertakings – Investment in Hindustan Paper Corporation Ltd." - Rs.7800.00 lakhs – due to non-acquisition of land for Jagdishpur Paper Mill.

(ङ) मुख्य शीर्ष "6854'' - "अन्य - अन्य कर्ज - सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यामों के पुन:प्रवर्तन की स्कीमों का कार्यान्वयन'' - 15000.00 लाख रु. पुन:प्रवर्तन स्कीम के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के विभिन्न उपक्रमों को निधियों का पुनर्विनियोग किए जाने के करण थे।

(E) Major Head "6854" - "Others - Other Loans – Implementation of revival schemes of PSEs" – Rs.15000.00 lakhs - due to re-appropriation of funds to various Public Sector Enterprises under revival scheme.

(चा) मुख्य शीर्ष "6858'' - "अन्य इंजीनियरी उद्योग - सार्वजनिक क्षेत्र के और अन्य उपक्रमों को कर्ज - स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्कीमों का कार्यान्वयन और सांविधिक देयताओं की

(F) Major Head "6858" – "Other Engineering Industries - Loans to Public Sector and Other Undertakings - Implementation of Voluntary

अदायगी'' - 25000.00 लाख रु. स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्कीम/ स्वैच्छिक पृथक्करण स्कीम लागू करने और सांविधिक देयताओं और पुन: प्रवर्तन स्कीम की अदायगी किए जाने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के विभिन्न उपक्रमों को निधियों का पुनर्विनियोग किए जाने और शेष राशि अभ्यर्पित किए जाने के कारण थे।

Retirement Schemes (VRS) and payment of statutory dues" - Rs.25000.00 lakhs – due to re-appropriation of funds to various Public Sector Enterprises for implementation of Voluntary Retirement Scheme/Voluntary Separation Scheme/payment of statuary dues and revival scheme and surrender of the balance amount.

(II) मुख्य शीर्ष ''4858'' - ''अन्य इंजीनियरी उद्योग - सार्वजनिक क्षेत्र के और अन्य उपक्रमों में निवेश - भारी इंजीनियरी निगम लिमिटेड में निवेश'' के अंतर्गत 1.00 लाख रु. के मूल प्रावधान को 5649.00 लाख रु. का पूरक अनुदान प्राप्त करके बढ़ाकर 5650.00 लाख रु. कर दिया गया जो, तथापि, बकाया - दंड स्वरूप ब्याज को परिवर्तित किए जाने के लिए कम निधियों की आवश्यकता होने के कारण 1169.46 लाख रु. की सीमा तक अप्रयुक्त रहा।.

(II) Under Major Head "4858" - "Other Engineering Industries – Investments in Public Sector and Other Undertakings – Investment in Heavy Engineering Corporation Ltd." – the original provision of Rs.1.00 lakh was augmented to Rs.5650.00 lakhs by obtaining supplementary grant of Rs.5649.00 lakhs which, however, remained unutilised to the extent of Rs.1169.46 lakhs – due to requirement of less funds for conversion of outstanding/penal interest.

4.(I) उपर्युक्त बचतें पुनर्विनियोग द्वारा प्रावधान को बढ़ाने के लिए आंशिक रूप से (2243.00 लाख रु.) प्रयुक्त हो गईं जैसा कि मुख्य शीर्ष ''4858'' - ''अन्य इंजीनियरी उद्योग - सार्वजनिक क्षेत्र के और अन्य उपक्रमों में निवेश - भारत भारी उद्योग निगम लिमिटेड में निवेश'' के अंतर्गत 1.00 लाख रु. का सांकेतिक पूरक अनुदान प्राप्त करते समय संसद को पहले ही सूचित कर दिया गया था। तथापि, वास्तविक अधिक व्यय 2242.00 लाख रु. था।

4.(I) The above savings were partly (Rs.2243.00 lakhs) utilised for augmenting the provision by re-appropriation as already reported to Parliament while obtaining token supplementary grant of Rs.1.00 lakh under Major Head "4858" - "Other Engineering Industries – Investments in Public Sector and Other Undertakings – Investment in Bharat Bhari Udyog Nigam Ltd." Actual excess, however, was Rs.2242.00 lakhs.

(II) बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा भी प्रतिसंतुलित हो गईं:-

(II) Savings were also offset by excess under the following major heads:-

(का) मुख्य शीर्ष ''4858'' - ''अन्य इंजीनियरी उद्योग - सार्वजनिक क्षेत्र के और अन्य उपक्रमों में निवेश - एंड्रयू यूल एंड कंपनी लिमिटेड में निवेश'' - 339.00 लाख रु. का अधिक व्यय (1.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/ स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष ''4552'' से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण हुआ।

(A) Major Head "4858" - "Other Engineering Industries - Investments in Public Sector and Other Undertakings - Investment in Andrew Yule and Company Ltd." – excess of Rs.339.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.1.00 lakh) was due to re-appropriation of funds from Major Head "4552" to functional heads for utilisation on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(खा) मुख्य शीर्ष ''4860'' - ''कागज और अखबारी कागज - सार्वजनिक क्षेत्र के और अन्य उपक्रमों में निवेश - नेपा लिमिटेड में निवेश'' - 184.00 लाख रु. का अधिक व्यय (1.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) सार्वजनिक

(B) Major Head "4860" – "Paper & Newsprint – Investments in Public Sector and Other Undertakings – Investment in Nepa Ltd." – excess of Rs.184.00 lakhs (against the sanctioned

क्षेत्र के उद्यमों में परिवर्धन, आशोधन और प्रतिस्थापन के लिए एकमुश्त प्रावधान से पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का अंतरण किए जाने के कारण हुआ।

(गा) मुख्य शीर्ष "6858" -

(क) "परिवहन उपस्कर उद्योग - सार्वजनिक क्षेत्र के और अन्य उपक्रमों को कर्ज - स्कूटर्स इंडिया लिमिटेड को कर्ज" - 745.00 लाख रु. का अधिक व्यय (200.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्कीम/सांविधिक देयताओं और पुन: प्रवर्तन स्कीम के एकमुश्त प्रावधान से पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का अंतरण किए जाने के कारण हुआ।

(ख) "अन्य इंजीनियरी उद्योग - सार्वजनिक क्षेत्र के और अन्य उपक्रमों को कर्ज" -

(i) "एंड्रयू यूल एंड कंपनी लिमिटेड को कर्ज" - 340.00 लाख रु. का अधिक व्यय (शून्य प्रावधान की तुलना में) पूर्वोत्तर क्षेत्र और सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों का पुनर्विनियोग मुख्य शीर्ष "4552" से कार्यात्मक शीर्षों को किए जाने के कारण हुआ।

(ii) "हिंदुस्तान केबल्स लिमिटेड को कर्ज" - 12036.00 लाख रु. का अधिक व्यय (शून्य प्रावधान की तुलना में) हुआ;

(iii) "भारत ऑफ्थल्मिक ग्लास लिमिटेड को कर्ज" - 199.15 लाख रु. का अधिक व्यय (शून्य प्रावधान की तुलना में) हुआ;

(iv) "इंस्ट्रुमेंटेशन लिमिटेड को कर्ज" - 3058.00 लाख रु. का अधिक व्यय (150.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ;

(v) "एचएमटी लिमिटेड को कर्ज" - 16322.00 लाख रु. का अधिक व्यय (शून्य प्रावधान की तुलना में) हुआ;

provision of Rs.1.00 lakh) was due to transfer of funds by re-appropriation from lumpsum provision for Addition, Modification and Replacement in Public Sector Enterprises.

(C) Major Head "6858" –

(a) "Transport Equipment Industries – Loans to Public Sector and Other Undertakings – Loans to Scooters India Ltd." - excess of Rs.745.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.200.00 lakhs) was due to transfer of funds by re-appropriation from lumpsum provision for Voluntary Retirement Scheme/Statutory dues and revival scheme.

(b) "Other Engineering Industries – Loans to Public Sector and Other Undertakings" –

(i) "Loans to Andrew Yule and Co. Ltd." – excess of Rs.340.00 lakhs (against nil provision) was due to re-appropriation of funds from Major Head "4552" to functional heads for utilisation on projects/ schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.

(ii) "Loans to Hindustan Cables Ltd." - excess of Rs.12036.00 lakhs (against nil provision);

(iii) "Loans to Bharat Ophthalmic Glass Ltd." - excess of Rs.199.15 lakhs (against nil provision);

(iv) "Loans to Instrumentation Ltd." – excess of Rs.3058.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.150.00 lakhs);

(v) "Loans to HMT Ltd." – excess of Rs.16322.00 lakhs (against nil provision);

(vi) ''भारत यंत्र निगम लिमिटेड को कर्ज'' - 1742.00 लाख रु. का अधिक व्यय (शून्य प्रावधान की तुलना में) हुआ;

(vii) ''भारत भारी उद्योग निगम लिमिटेड को कर्ज'' - 229.00 लाख रु. का अधिक व्यय (976.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ;

(घा) मुख्य शीर्ष ''6860'' -

(क) ''कागज और अखबारी कागज - सार्वजनिक क्षेत्र के और अन्य उपक्रमों को कर्ज - नेपा लिमिटेड को कर्ज'' - 1411.00 लाख रु. का अधिक व्यय (शून्य प्रावधान की तुलना में) हुआ; और

(ख) ''अन्य - फोटो फिल्म्स - हिंदुस्तान फोटो फिल्म्स विनिर्माण कंपनी लिमिटेड को कर्ज'' - 2627.00 लाख रु. का अधिक व्यय (100.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ।

उपर्युक्त आठ शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों की पुन: प्रवर्तन स्कीमें और स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्कीमें लागू किए जाने/सांविधिक देयताओं संबंधी एकमुश्त प्रावधान से पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का अंतरण किए जाने के कारण हुआ।

(vi) "Loans to Bharat Yantra Nigam Ltd." - excess of Rs.1742.00 lakhs (against nil provision);

(vii) "Loans to Bharat Bhari Udyog Nigam Ltd." – excess of Rs.229.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.976.00 lakhs);

(D) Major Head "6860" –

(a) "Paper and Newsprint – Loans to Public Sector and Other Undertakings – Loans to Nepa Ltd." – excess of Rs.1411.00 lakhs (against nil provision); and

(b) "Others - Photo Films – Loans to Hindustan Photo Films Mfg. Company Ltd." - excess of Rs.2627.00 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.100.00 lakhs).

Excess under the above eight heads was due to transfer of funds by re-appropriation from lumpsum provision for implementation of revival schemes by Public Sector Enterprises and Voluntary Retirement Scheme/statutory dues.